


बिहार सरकार
उद्योग विभाग

आ दे श

विभागीय आदेश संख्या-242 दिनांक-18.02.14 में आंशिक संशोधन करते हुए राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्वद के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले प्रस्तावों जिनमें पूँजी निवेश 20.00(बीस) करोड़ रू0 तक हो के लिए आवेदन-पत्र (ऑन लाईन फाईलिंग या हार्ड कॉपी) शुल्क 1,000/- (एक हजार) रू0 से बढ़ाकर 3,000/- (तीन हजार) रू0 एवं जिनमें पूँजी निवेश 20.00(बीस) करोड़ रू0 से उपर हो के लिए आवेदन-पत्र शुल्क 1,000/- (एक हजार) रू0 से बढ़ाकर 5,000/- (पाँच हजार) रू0 किया जाता है एवं यह राशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में उद्योग विभाग, बिहार, सरकार के पक्ष में जमा करना होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,




(नवीन वर्मा),

प्रधान सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 335 /पटना, दिनांक- 5.03.14

प्रतिलिपि- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार गजट के विशेष अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।




प्रधान सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 335 /पटना, दिनांक- 05.03.14

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।




प्रधान सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 335 /पटना, दिनांक- 05.03.14

प्रतिलिपि- बिहार सरकार के सभी विभाग / निदेशक, तकनीकी विकास/उद्योग निदेशक/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, इंदिरा भवन, पटना/सभी संयुक्त उद्योग निदेशक/उप निदेशक, उद्योग विभाग/अध्यक्ष, बिहार उद्योग संघ/अध्यक्ष, बिहार चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज/महाप्रबंधक, सभी जिला उद्योग केन्द्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



प्रधान सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 05.03.14

/पटना, दिनांक-

05.03.14

प्रतिलिपि- मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/विकास आयुक्त, बिहार, के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 335

/पटना, दिनांक-

05.03.14

प्रतिलिपि- माननीया मंत्री, उद्योग के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।